### भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-31-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हए. राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

## अनुसूची

#### तहसील : खालवा

जिला: खण्डवा

क्र. ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(1)(2) (3)

मुल ग्राम-कालाआम कलां 1. 1.

अधीक्षक, भू-अभिलेख

नवीन ग्राम—मदरानी प.ह.नं. 06.

(नियमित), जिला खण्डवा.

- 01. मूल ग्राम—जूनापानी 02. नवीन ग्राम—गोलीढाना प.ह.नं. 17.
- 01. मूल ग्राम—खालवा सरकार 02. नवीन ग्राम-गौमुख प.ह.नं. 20.
- 01. मूल ग्राम-नामापुर 02. नवीन ग्राम—मिरीखेडा प.ह.नं. 28.
- 01. मूल ग्राम—दोगालिया 02. नवीन ग्राम—बैडाढाना प.ह.नं. 29.
- 01. मूल ग्राम—कुम्हारखेड़ा 02. नवीन ग्राम—रिछडीखेडा प.ह.नं. 32.
- 01. मूल ग्राम—अंबाड़ा रैयत 02. नवीन ग्राम—बावड़िया रैयत प.ह.नं. 60.
- 01. मूल ग्राम-खमलाय 02. नवीन ग्राम—सामूढाना प.ह.नं. 66.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

## भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-31-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-31-2013-सात-6, दिनांक 26 जुन 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

#### Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-31-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:-

#### **SCHEDULE**

#### Tahsil: Khalwa

District: Khandwa

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(1)(2) (3)

- 1. 1. Org. Vill.—Kalaam kala Superintendent of Land 2. New Vill.—Madranee P.H.No.—06.
  - Records (Regular), District-Khandwa.
- 2. 1. Org. Vill.—Junapanee 2. New Vill.—Goleedhana P.H.No.—17.
- 3. 1. Org. Vill.—Khalwa Sarkar 2. New Vill.—Goomukh P.H.No.—20.
- 4. 1. Org. Vill.—Namapur 2. New Vill.-Mirikheda P.H.No.—28.
- 5. 1. Org. Vill.—Dongaliya 2. New Vill.—Baidhadhana P.H.No.—29.
- 6. 1. Org. Vill.—Kumharkheda 2. New Vill.—Richhdikheda P.H.No.—32.

(1)

6.

(1)(2)7. 1. Org. Vill.—Ambada Raiyat 2. New Vill.—Bavadiya Raiyat P.H.No.—60.

Superintendent of Land Records (Regular), District—Khandwa.

(3)

8. 1. Org. Vill.—Khamlaya 2. New Vill.—Samudhana P.H.No.—66.

> By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

### भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-32-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

## अनुसूची

#### जिला: सिंगरोली तहसील : सिंगरोली अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं क्र. करने के लिए प्राधिकृत प.ह.नं. अधिकारी का नाम (3) (1)(2) अधीक्षक, भू-अभिलेख मुल ग्राम—हर्रहवा (नियमित), नवीन ग्राम—करकोटा जिला सिंगरोली. प.ह.नं. 78. 01. मूल ग्राम—गोभा

प.ह.नं. 70. 01. मूल ग्राम—तियरा 02. नवीन ग्राम—पलहवा

प.ह.नं. 85.

02. नवीन ग्राम—गुनगहवा

01. मूल ग्राम-बरहपान 02. नवीन ग्राम—मुडवनिया टोला प.ह.नं. 71.

#### तहसील : चितरंगी

जिला: सिंगरोली मूल ग्राम—झरकटिया 5. 1.

नवीन ग्राम—बोदरहवा 2. प.ह.नं. 102.

अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला सिंगरोली.

(2)

मुल ग्राम-खम्हारडीह

1. नवीन ग्राम—गिधौहा प.ह.नं. 03.

(3)

अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला सिंगरोली.

- 01. मूल ग्राम—कपूरदेई 02. नवीन ग्राम—बगढा प.ह.नं. 98.
- 01. मूल ग्राम-पथरकटी 8. 02. नवीन ग्राम-गुलरिहा प.ह.नं. 95.
  - 01. मूल ग्राम—वगैया 02. नवीन ग्राम-पिपरहवा टोला प.ह.नं. 97.
- 01. मूल ग्राम—धवई 02. नवीन ग्राम—घोडदर प.ह.नं. 67.
- 01. मूल ग्राम—देवरी 11. 02. नवीन ग्राम—भितरी प.ह.नं. 71.

### तहसील: माडा

जिला: सिंगरोली

12. 1. मूल ग्राम—खम्हरिया

नवीन ग्राम—महदेवा टोला प.ह.नं. 90.

अधीक्षक, भ्-अभिलेख (नियमित), जिला सिंगरोली.

# तहसील : देवसर

मूल ग्राम—बाघाडीह 13. 1.

> नवीन ग्राम-भल्हीटोला 2. प.ह.नं. 77.

अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित), जिला सिंगरोली.

जिला: सिंगरोली

- 14. 01. मूल ग्राम—खन्धौली 02. नवीन ग्राम—खैरखुट प.ह.नं. 31.
- 15. 01. मूल ग्राम—कुर्सा 02. नवीन ग्राम—भाटटोला प.ह.नं. 04.
- 16. 01. मूल ग्राम—जियावन 02. नवीन ग्राम—चौराडाड प.ह.नं. 07.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.